सार्वजनिक सूचना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उन नियमित कर्मचारियों के पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई है या जो चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इन आवेदनों पर 'अनुकंपा नियुक्ति योजना' (Compassionate Appointment Scheme) के तहत विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्राधिकरण के दिनांक 16.12.2025 के नीति परिपत्र संख्या 1.3.1.47/2025 के अनुसार होगी, जिसका वेब लिंक नीचे दिया गया है:

https://library.nhai.org/nhailibrary/Assets/Pdf/1.3.1.47.pdf

2. पात्र आश्रित परिवार के सदस्य निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। वे पूरी तरह से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र admincomp@nhai.org पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 21.11.2026 को शाम 06:00 बजे तक** है।

3. पात्रता के उद्देश्य से आश्रित आवेदक की आयु की गणना के लिए, निर्णायक तिथि 22.12.2025 होगी।

4. जिन पात्र परिवार के सदस्य ने 16.12.2025 के परिपत्र के तहत पहले ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

PUBLIC NOTICE

National Highways Authority of India (NHAI) hereby invites applications from eligible dependent family member(s) of regular NHAI employees who have died in harness or have retired on medical grounds, for consideration under the Compassionate Appointment Scheme, in accordance with NHAI Policy Circular No. 1.3.1.47/2025 dated 16.12.2025. The web link of the policy circular is as under:

https://library.nhai.org/nhailibrary/Assets/Pdf/1.3.1.47.pdf

2. Eligible dependent family member(s) may apply in the prescribed proforma and submit duly filled application form (format of which is available in the above Policy Circular) via email at **admincomp@nhai.org latest by 21.11.2026 up to 06:00 PM**.

3. For calculation of the age of dependent-applicant for the purpose of eligibility, the crucial date shall be as on 22.12.2025.

4. Those eligible family member(s) who have already applied for compassionate appointment in pursuance of the circular dated 16.12.2025 need not apply again.